बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक–4/STA.–P3–331/2013 3405

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

E-mail

संयुक्त आयुक्त–सह–सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
पटना ।

पटना, दिनांक– 29/6/17

विषयः अन्तर्राज्यीय परमिट के प्रतिहस्ताक्षर हेतु दिशा–निर्देश के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–378, दिनांक–01.04.2017 के संबंध में अवगत कराना है कि बिहार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–88 में उल्लिखित है कि "जैसा कि अन्यथा विहित किया जाए उसके सिवाय, कोई परमिट जो किसी एक प्रदेश के प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ने दिया है, किसी अन्य प्रदेश में तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह परमिट उस अन्य प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो और वह परमिट जो किसी एक अन्य राज्य में दिया गया है, किसी अन्य राज्य में तब तक विधिमान्य न होगा जब तक कि वह उस अन्य राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित न कर दिया गया हो ।"

उल्लेखनीय है कि वाहन संख्या–BR-56A-6527 के पक्ष में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार से परमिट संख्या–56/2013 निर्गत है । जिसका प्रतिहस्ताक्षर झारखंड राज्य में कराना अनिवार्य है । उक्त परमिट के समय सारणी में पटना का प्रस्थान बिन्दु 9.00 पी0एम0 अंकित है ।

यह आपके सूचनार्थ है ।

विश्वासभाजन,

29/6

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना ।

M.K.P-438